an>

Title: Regarding setting up of sugar mill on the land acquired by farmers in distt.- Bikapur.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : सभापति जी, मैं यह मामला पूर्व में भी उठाना चाहती थी, लेकिन कारणवश यह अधूरा रह गया था इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे इस मामले को यहां उठाने के लिए कृपया दो मिनट का समय दें। मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम, मल्लावा के ग्राम बीकापुर, ब्लाक मल्लावा की ओर दिलाना चाहूंगी। बीकापुर में करीब 24 साल पहले एक निजी कम्पनी ने चीनी मिल लगाने के नाम पर 284 किसानों की 300 बीघा जमीन अधिगृहीत कर ली थी। इस जमीन पर न तो अभी तक मिल लगी है और न ही इन किसानों को कोई मुआवजा मिला है। जिला प्रशासन भी इस मुद्दे पर चुप है। करीब तीन साल पहले किसानों ने हंगामा किया तो मिल प्रबंधन ने जमीन पर कुछ सामान रखवा दिया। जब विरोध थमा तो सामान सहित गार्ड भी गायब हो गए। ये किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बीकापुर में 1991 में पेट्रान शूगर लिमिटेड का बोर्ड लगा दिया और किसानों को सपना दिखाया गया कि यहां चीनी मिल लगने से सैंकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन न तो वहां लोगों को रोजगार मिला और न वहां चीनी मिल स्थापित हुई। आएदिन वहां के किसान धरने पर बैठ रहे हैं, वे जिला पर भी बैठते हैं और ब्लाकवाइज भी बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि जो जमीन बीकापुर, बरौना, बारापुर, रायौरामपुर और नवादा गांव के किसानों से ली गई है, उस पर वह संज्ञान ले। जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, उन्हें वर्तमान मूल्य पर उचित मुआवजा दिया जाए तथा अधिगृहीत जमीन पर मिल स्थापित कराकर वहां रोजगार मुहैया कराया जाए। वहां का किसान जो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वह भुखमरी की हालत है, अपनी जिंदगी को फिर पटरी पर ला सके।